छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

श्री भूपेश बघेल जी
मान. मुख्यमंत्री

श्री गुरू रूद्र कुमार जी
मान. मंत्री

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष-2022-23

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण के संबंध में जल बहिनियों से चर्चा

माननीय विभागीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जल जीवन मिशन के
कार्यों की समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वर्ष 2022-23

मंत्री	-	माननीय श्री गुरू रूद्र कुमार
संसदीय सचिव	-	माननीया श्रीमती अंबिका सिंहदेव

मंत्रालय

अपर मुख्य सचिव	-	श्री सुब्रत साहू (दिनांक 13.09.2021 से 31.07.2022 तक)
सचिव	-	श्री धनंजय देवांगन (दिनांक 13.09.2021 से 31.07.2022 तक)
	-	डॉ. एस. भारतीदासन (दिनांक 01.08.2022 से निरंतर)
मिशन संचालक	-	श्री टोपेश्वर वर्मा (दिनांक 18.01.2022 से 19.12.2022 तक)
		श्री आलोक कटियार (दिनांक 20.12.2022 से निरंतर)
उपसचिव	-	श्री कमलेश बनसोड
अवर सचिव	-	श्री रविन्द्र मेढ़ेकर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	-	डॉ. एम.एल. अग्रवाल
	-	श्री के. के. मरकाम

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता	-	श्री टी.जी. कोसरिया

एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त जल परीक्षण प्रयोगशाला जिला- रायगढ़

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण		पृष्ठ क्रमांक
1.	भाग-1	विभागीय संरचना	1-11
2.	भाग-2	बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	12-13
3.	भाग-3	राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	14-39
4.	भाग-4	सामान्य प्रशासनिक विषय	40-41
5.	भाग-5	विभागीय प्रकाशन	42
6.	भाग-6	अभिनव योजना	43
7.	भाग-7	सारांश	44-48

जल जीवन मिशन के कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी की सहभागिता जिला दुर्ग

भाग - एक

विभागीय संरचना

1.1 सामान्य :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं को तैयार कर क्रियान्वयन तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की आवश्यकता के अनुरूप जलप्रदाय योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है।

1.2 विभागीय संरचना :

मंत्रालय के अधीनस्थ विभागीय संरचना में प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष है। कार्यालय प्रमुख अभियंता, तृतीय तल, चतुर्थ ब्लाक, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। प्रदेश में परिक्षेत्रवार तीन मुख्य अभियंता कार्यालय निम्नानुसार कार्यरत् हैं:–

(अ) मुख्य अभियंता, रायपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय रायपुर :

कार्यक्षेत्र- रायपुर एवं दुर्ग राजस्व संभाग अंतर्गत 12 जिले क्रमशः रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार–भाटापारा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव कबीरधाम, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई एवं मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी ।

(ब) मुख्य अभियंता, बिलासपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय बिलासपुर :

कार्यक्षेत्र- बिलासपुर एवं सरगुजा राजस्व संभाग के अंतर्गत 14 जिले क्रमशः बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सारंगढ़–बिलाईगढ, सक्ती एवं मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर।

(स) मुख्य अभियंता, जगदलपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय जगदलपुर:

कार्यक्षेत्र- बस्तर राजस्व संभाग के अंतर्गत 7 जिले क्रमशः बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर एवं नारायणपुर।

इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता कार्यालय में मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद तथा मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का एक पद सृजित है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता (सिविल), राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन प्रकोश्ठ के प्रभारी होते हैं, उनके द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय में विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण का कार्य किया जाता रहा है। मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदेश के विद्युत एवं यांत्रिकी संकाय के कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करने का है।

1.3 मैदानी स्तर पर विभागीय संरचना :

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सिविल संकाय के राजस्व संभाग स्तर पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर मण्डल कार्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय कोण्डागांव में भी मण्डल कार्यालय कार्यरत् हैं। इस प्रकार राज्य में कुल छः मंडल कार्यालय है। इन कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख, अधीक्षण अभियंता हैं।

प्रदेश के जिला स्तर पर (नव निर्मित 5 जिले क्रमशः खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी, सारंगढ़–बिलाईगढ, सक्ती एवं मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को छोड़ कर) एक सिविल खण्ड कार्यालय कार्यरत् है, इसके अतिरिक्त रायपुर, बेमेतरा, जगदलपुर और कोरबा में एक–एक परियोजना खण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। इस प्रकार (सिविल) के जिला स्तरीय 28 खंड कार्यालय, 4 परियोजना खण्ड कार्यालय स्थापित हैं। जिनके कार्यालय प्रमुख कार्यपालन अभियंता है। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन कुल 89 उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) कार्यालय प्रमुख होते है।

विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संकाय हेतु राज्य में एक मण्डल कार्यालय रायपुर में स्थापित है। जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर में विद्युत/यांत्रिकी संकाय के खण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन जिला मुख्यालयों पर 27 विद्युत/यांत्रिकी उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता (वि/यां) कार्यालय प्रमुख होते है।

विभागीय संरचना

विभागीय मंत्री

विभागीय संसदीय सचिव

सचिव

प्रमुख अभियंता

मिशन संचालक
जल जीवन मिशन

मुख्य अभियंता
परिक्षेत्र रायपुर

मुख्य अभियंता
परिक्षेत्र बिलासपुर

मुख्य अभियंता
परिक्षेत्र जगदलपुर

अधीक्षण अभियंता, मंडल रायपुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल दुर्ग	अधीक्षण अभियंता, मंडल बिलासपुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल अंबिकापुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल जगदलपुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल कोण्डागांव	अधीक्षण अभियंता, वि0/यां0 मंडल, रायपुर
(1) खण्ड रायपुर उपखंड रायपुर भूजल संवर्धन उपखंड रायपुर (2) खण्ड धमतरी उपखंड धमतरी उपखंड कुरूद उपखंड नगरी (3) खण्ड महासमुंद उपखंड महासमुंद उपखंड सरायपाली (4) खण्ड बलौदाबाजार उपखंड भाटापारा उपखंड बलौदाबाजार उपखंड कसडोल (5) खण्ड गरियाबंद उपखंड गरियाबंद उपखंड राजिम उपखंड देवभोग (6) परि.खण्ड रायपुर परि. उपखंड क. 1 रायपुर. परि. उपखंड क. 2 रायपुर	(1) खण्ड दुर्ग उपखंड दुर्ग उपखंड पाटन (2) खण्ड बालोद उपखंड बालोद उपखंड गुंडरदेही उपखंड डौडी (3) खण्ड बेमेतरा उपखंड बेमेतरा उपखंड साजा (4) खण्ड राजनांदगांव उपखंड राजनांदगांव उपखंड चौकी उपखंड डोंगरगढ़ उपखंड खैरागढ़ उपखंड छुईखदान उपखंड मोहला वि. संधा. उपखण्ड, राजनांदगांव (5) खण्ड कबीरधाम उपखंड कवर्धा उपखंड पंडरिया उपखंड बोडला (6) परि.खण्ड बेमेतरा परि. उपखंड क.1 बेमेतरा परि. उपखंड क.2 बेमेतरा परि. उपखंड क.3 बेमेतरा	(1) खण्ड बिलासपुर उपखंड बिलासपुर उपखंड तखतपुर (2) खण्ड गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही उपखंड गौरेला (3) खण्ड मुंगेली उपखंड मुंगेली उपखंड पथरिया (4) खण्ड कोरबा उपखंड कोरबा उपखंड कटघोरा (5) खण्ड जांजगीर –चांपा उपखंड चांपा उपखंड सक्ती उपखंड डभरा उपखंड अकलतरा (6) खण्ड रायगढ़ उपखंड रायगढ़ उपखंड खरसिया उपखंड सारंगढ़ उपखंड घरघोड़ा उपखंड धरमजयगढ़ (7) परि.खण्ड कोरबा उपखंड क. 1 कोरबा उपखंड क. 2 कोरबा	(1) खण्ड अंबिकापुर उपखंड अम्बिकापुर उपखंड सीतापुर (2) खण्ड बलरामपुर उपखंड बलरामपुर उपखंड कुसमी उपखंड रामानुजगंज उपखंड वाड्रफनगर (3) खण्ड सूरजपुर उपखंड सूरजपुर उपखंड प्रतापपुर उपखंड ओड़गी (4) खण्ड जशपुर उपखंड जशपुर उपखंड कुनकुरी उपखंड पत्थलगांव उपखंड कांसाबेल (5) खण्ड कोरिया उपखंड बैकुंठपुर उपखंड मनेन्द्रगढ़ उपखंड चिरमिरी उपखंड जनकपुर	(1) खण्ड जगदलपुर उपखंड क.1 जगदलपुर (मुख्यलय बस्तर) उपखंड क.2 जगदलपुर उपखंड तोकापाल भू.सं.उपखंड जगदलपुर संधा.उपखंड जगदलपुर (2) खण्ड दंतेवाडा उपखंड दंतेवाड़ा उपखंड क.2 दंतेवाड़ा (3) खण्ड सुकमा उपखंड सुकमा उपखंड कोंटा (4) खण्ड बीजापुर उपखंड बीजापुर उपखंड भोपालपटनम (5) परि.खण्ड जगदलपुर परि.उपखण्ड क 3 जगदलपुर परि.उपखण्ड क 4 जगदलपुर	(1) खण्ड कोण्डागांव उपखंड कोंडागांव उपखंड केशकाल (2) खण्ड कांकेर उपखंड कांकेर उपखंड भानुप्रतापपुर उपखंड अंतागढ़ (3) खण्ड नारायणपुर उपखण्ड नारायणपुर	(1) वि/यां खण्ड रायपुर उपखंड रायपुर उपखंड गरियाबंद उपखंड बलौदाबाजार उपखंड धमतरी उपखंड महासमुंद (2) वि/यां खण्ड राजनांदगांव उपखंड दुर्ग उपखंड बालोद उपखंड बेमेतरा उपखंड राजनांदगांव उपखंड कवर्धा (3) वि/यां खण्ड बिलासपुर उपखंड बिलासपुर उपखंड मुंगेली उपखंड चांपा उपखंड कोरबा उपखंड रायगढ़ (4) वि/यां खण्ड अम्बिकापुर उपखंड अम्बिकापुर उपखंड सूरजपुर उपखंड बलरामपुर उपखंड कोरिया उपखंड जशपुर (5) वि/यां खण्ड जगदलपुर उपखण्ड जगदलपुर उपखण्ड कोण्डागांव उपखंड दंतेवाडा उपखंड सुकमा उपखंड कांकेर उपखंड बीजापुर उपखंड नारायणपुर

विभागीय संरचना में स्वीकृत पदों का विवरण

राजपत्रित प्रथम श्रेणी संवर्ग :

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	प्रमुख अभियंता	01
2.	मुख्य अभियंता (वि/यां)	01
3.	मुख्य अभियंता (सिविल)	04
4.	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	12
5.	अधीक्षण अभियंता (वि/यां)	01
6.	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	37
7.	कार्यपालन अभियंता (वि/यां)	06
8.	कार्यपालन अभियंता (एम.आई.एस.)	01
9.	संयुक्त संचालक (वित्त) प्रतिनियुक्ति से	01

राजपत्रित द्वितीय श्रेणी संवर्ग :

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	जल वैज्ञानिक (हाइड्रोजियोलाजिस्ट) (प्रतिनियुक्ति)	03
2.	हाइड्रोजियोलाजिस्ट	01
3.	सहायक भू–जलविद्	01
4.	सहायक अभियंता (सिविल)	131
5.	सहायक अभियंता (वि/यां)	33
6.	सहायक अभियंता (एम.आई.एस.)	01
7.	लेखाधिकारी (वित्त) प्रतिनियुक्ति से	04
8.	मुख्य रसायनज्ञ	01
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक संवर्ग) :

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	उप–अभियंता (सिविल)	407
2	उप–अभियंता (वि./यां.)	130
3	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (जियोलाजिस्ट)	02
4	फोरमेन	01
5	रिग ऑपरेटर	05
6	सहायक रिग ऑपरेटर	05
7	ड्रिलर	10
8	मुख्य मानचित्रकार	01
9	मानचित्रकार	49
10	सहायक मानचित्रकार	48
11	अनुरेखक	103

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (लिपिक संवर्ग) :

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
12	मुख्यालय अधीक्षक	01
13	अधीक्षक (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	10
14	कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01
15	सहायक ग्रेड–1 (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	10
16	सहायक ग्रेड–एक (अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	07
17	वरिष्ठ निज सहायक	01
18	निज सहायक	04
19	शीघ्रलेखक	13
20	लेखापाल	04
21	सहायक ग्रेड–2	15
22	सहायक ग्रेड–3	30
23	स्टेनोटायपिस्ट	43

अराजपत्रित राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (अन्य संवर्ग) :

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
24	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	03
25	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	47
26	केमिस्ट	29
27	सहायक केमिस्ट	01
28	वाहन चालक	13

अराजपत्रित राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी (अन्य संवर्ग) :

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
29	सुपरवाईजर	01
30	दफ्तरी	04
31	भृत्य	28
32	चौकीदार	01

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (लिपिक संवर्ग) :

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1	सहायक ग्रेड–2	202
2	सहायक ग्रेड–3	277
3	संभागीय लेखापाल (प्रतिनियुक्ति से)	37

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी (अन्य संवर्ग):

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
4	प्रयोगशाला सहायक	30
5	हैण्डपंप तकनीशियन	876
6	इलेक्ट्रिशियन	01
7	फिटर	02
8	शिफ्ट ड्राईवर	01
9	टर्नर	02
10	वेल्डर	01
11	ट्रक चालक	28
12	वाहन चालक	90
13	चालक सह सहायक	18
14	एयर कम्प्रेशर चालक	03
15	मैकेनिक (वि./यां.)	13

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय चतुर्थ (अन्य संवर्ग) :

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
16	दफ्तरी	29
17	भृत्य	266
18	हेल्पर	16
19	लाईनमेन	02
20	क्लीनर	13
21	चौकीदार (नियमित)	103

1.4 विभाग का दायित्व :

प्रदेश के समस्त 50.07 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) द्वारा, 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से, गुणवत्तायुक्त शुद्ध पेयजल, दीर्घकालीन अवधि तक के लिए निरंतर उपलब्ध कराना, विभाग का मुख्य दायित्व है। विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु, **हर घर नल से जल** हेतु पेयजल योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- समस्याग्रस्त बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय टंकी आधारित नल जल योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ग्रामों/बसाहटों जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है, अथवा भू–जल की गुणवत्ता प्रभावित है, वहां सतही स्रोत पर आधारित समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- जल गुणवत्ता यथा लौह आधिक्य, फ्लोराइड आधिक्य, आर्सेनिक आधिक्य व लवण आधिक्य से प्रभावित बसाहटों में आवश्यकतानुसार जल शुद्विकरण संयंत्र की स्थापना एवं अनुरक्षण।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल प्रदाय हेतु स्थापित विभागीय हैण्डपम्पों का अनुरक्षण।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों की फील्ड टेस्ट किट से जल गुणवत्ता की जाँच एवं उसकी सतत् निगरानी तथा ग्राम पंचायतों के साथ–साथ स्थानीय लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित करना।
- राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं जल नमूनों का परीक्षण कार्य।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्रोतों एवं संचालित योजनाओं की निरंतरता हेतु जल संरक्षण, भूजल संवर्धन आदि कार्यो का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं, शासकीय भवन युक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा अन्य शासकीय भवनो में शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था।
- नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की मांग अनुसार पेयजल एवं जलमल निकास योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य।
- मेले में पेयजल एवं अस्थाई शौचालय व्यवस्था।

1.5 सामान्य जानकारी :

प्रदेश में वर्तमान में कुल आबाद ग्राम 19678 हैं, इनमें कुल 75,233 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इन सभी बसाहटों में कम से कम एक पेयजल स्रोत निर्मित किया जा चुका है। पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के कुल 168 नगरीय निकायों में से 32 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

1.6 प्रमुख विशेषताएं :

राज्य में जलप्रदाय स्रोतों के विकास की प्रमुख जिम्मेदारी भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुसार राज्य सरकारों की है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु समय–समय पर नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था राज्य शासन एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल व्यवस्था राज्य शासन अपने संसाधनों से भी उपलब्ध कराती है। विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों के पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना की लागत का राज्य शासन द्वारा 70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत शासकीय ऋण नगरीय निकायों के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

1.7 लक्ष्य :

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करना।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शत–प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों एवं योजनाओं का संचालन एवं संधारण।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित गौठानों में जल प्रदाय व्यवस्था का लक्ष्यानुसार क्रियान्वयन।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शालाओं, आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में रनिंग वॉटर से पेयजल प्रदाय।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी पेयजल स्रोतों का फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से वर्ष में एक बार केमिकल परीक्षण एवं दो बार जीवाणु परीक्षण किया जाना तथा सभी बसाहटों के न्यूनतम एक पेयजल स्रोत के जल नमूने का जिला पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाना।

1.8 महत्वपूर्ण सांख्यिकी (माह दिसंबर, 2022 की स्थिति में) :

(1)	**ग्रामों की संख्या**	:	19678
(2)	**बसाहटें**	:	75,233
(3)	**स्थापित हैंडपंप**	:	2,61,275
(4)	**शालाओं में पेयजल व्यवस्था :-**		
	शालाओं की संख्या	:	45,796
	रनिंग वॉटर से पेयजल उपलब्ध शालाओं की संख्या	:	43,933
(5)	**आँगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था :-**		
	आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	:	45,732
	रनिंग वॉटर से पेयजल उपलब्ध आंगनबाड़ियों की संख्या	:	41,669
(6)	**ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं (जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत):-**		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	4,551
	पूर्ण योजनाएं	:	4,406
	प्रगतिरत् एवं आंशिक पूर्ण योजनाएं	:	135
	(जे.जे.एम. अंतर्गत रेट्रोफिटिंग में परिवर्तित)		
(7)	**स्थल जल प्रदाय योजनाएं:-**		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2,128
	पूर्ण योजनाएं	:	2,128
(8)	**सोलर आधारित (900 वॉट) योजनाएं (जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत):-**		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2,680
	पूर्ण योजनाएं	:	2,587
	प्रगतिरत् योजनाएं	:	93

(09) सोलर आधारित (600 वॉट)-ड्यूअल ऑपरेटेड पंप :(जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत)

कुल स्वीकृत कार्य	:	5,142
पूर्ण कार्य	:	5,115
प्रगतिरत् योजनाएं	:	27

(10) पेयजल गुणवत्ता :- गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित निवारण संयंत्रों की स्थिति :–

1. लौह निवारण संयंत्र	:	3,111
2. फ्लोराइड निवारण संयंत्र	:	533
3. आर्सेनिक निवारण संयंत्र	:	04
4. टी.डी.एस.(खारा पानी) निवारण संयंत्र	:	170

(12) नगरीय निकायों में जलप्रदाय व्यवस्था :-

नगरीय निकायों की संख्या	:	168
नगर पालिक निगम	:	13
नगर पालिका परिषद्	:	43
नगर पंचायत	:	112
क्रियान्वित योजनाएं	:	136
प्रगतिरत् योजनाएं	:	32

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन

2.1. बजट (एक दृष्टि में) :

वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के लिए बजट में सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य की योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। विभागीय बजट में जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए शासन द्वारा बजट में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल रू. 1851.16 करोड़ का प्रावधान है। समग्र में विगत तीन वर्षों में उपलब्ध कराये गये बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये लाख में)

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान (अनुपूरक सहित)	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2020-21	147177.30	106758.14	72.53%
2	2021-22	202891.30	150948.29	74.40%
3	2022-23 (दिसम्बर–2022)	185116.31	138978.00	75.08%

2.2 मांग संख्यावार बजट प्रावधान :

विभागीय बजट में वित्तीय वर्ष 2022–23 (31 दिसंबर 2022 तक) के लिये बजट में सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में राजस्व एवं पूंजीगत मद अंतर्गत प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2022-23 (31 दिसंबर 2022 तक)

(राशि रूपये लाख में)

लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक बजट प्रावधान	कुल बजट प्रावधान	व्यय (दिसम्बर-2022 तक)	व्यय का प्रतिशत
मांग संख्या–20					
राजस्व अनुभाग	29699.72	0.00	29699.72	16699.87	56.23
पूंजी अनुभाग	57271.07	15138.00	72409.07	57217.81	79.02
योग	**86970.79**	**15138.00**	**102108.79**	**73917.68**	**72.39**
मांग संख्या–41					
राजस्व अनुभाग	942.51	0.00	942.51	805.05	85.42
पूंजी अनुभाग	44429.15	11229.00	55658.15	45442.32	81.65
योग	**45371.66**	**11229.00**	**56600.66**	**46247.37**	**81.71**
मांग संख्या–64					
राजस्व अनुभाग	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
पूंजी अनुभाग	19118.85	3633.00	22751.85	16917.59	74.36
योग	**19118.86**	**3633.00**	**22751.86**	**16917.59**	**74.36**
मांग संख्या–80					
राजस्व अनुभाग	3565.00	0.00	3565.00	1885.50	52.89
पूंजी अनुभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**3565.00**	**0.00**	**3565.00**	**1885.50**	**52.89**
मांग संख्या–82					
राजस्व अनुभाग	90.00	0.00	90.00	9.86	10.96
पूंजी अनुभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**90.00**	**0.00**	**90.00**	**9.86**	**10.96**
कुल योग	**155116.31**	**30000.00**	**185116.31**	**138978.00**	**75.08**

भाग - तीन

राज्य योजनाएँ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

3.1 राज्य योजनाएँ

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य योजना के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण पेयजल प्रदाय से संबंधित कार्य जो जलजीवन मिशन में सम्मिलित नहीं हैं उनका क्रियान्वयन राज्य योजना अंतर्गत किया जा रहा है ।

विभाग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभाग को राज्य मद से अनुदान की राशि प्रदान की जाती है।

3.1.1 ग्रामीण पेयजल प्रदाय :

3.1.1.1 हैण्डपम्प योजनाएँ : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बसाहटों में नलकूप खनन उपरांत हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित लक्ष्य एवं माह दिसम्बर, 2022 तक की स्थिति में प्राप्त भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

क.	विवरण	कुल लक्ष्य	खनित नलकूप	सफल
1.	बसाहटों में नलकूप खनन	4,100	3,374	2,878
2.	नगरीय निकायों में नलकूप खनन	236	174	158
3.	गौठानों में नलकूप खनन	733	298	260
4.	निक्षेप मद अंतर्गत नलकूप खनन	.....	316	280

ग्राम-ओबारी, विकासखंड-बलरामपुर जिला- बलरामपुर में नलकूप के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता

भौगोलिक परिवेश एवं स्ट्रेट्रा को देखते हुये जिलेवार रिग मशीनों का आबंटन

राज्य में कुल 45 रिग मशीनें हैं, जो आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिलों में कार्यरत् हैं।

3.1.1.1.1 पहुँच की दृष्टि से प्रदेश में तीन तरह की रिग मशीनें उपलब्ध हैं :-

- क्राउलर माउन्टेड रिग मशीन – 2 नग
- ट्रेक्टर माउन्टेड रिग मशीन – 10 नग
- ट्रक माउन्टेड रिग मशीन – 33 नग

3.1.1.1.2 स्ट्रेट्रा के दृष्टि से रिग मशीनों की उपलब्धता:

- डी.टी.एच. रिग मशीन – 40 नग

  ऐसी सतह जहॉ 30–40 फिट तक मिट्टी, पत्थर तथा बाद में कड़ा पत्थर मिलता हो, ऐसी जगह इन मशीनों की सहायता से अधिक गहराई के नलकूपों का खनन किया जाता है।
- कॉम्बीनेशन रिग मशीन – 05 नग

  ऐसी सतह जहॉ लगभग 100 से 150 फिट तक बोल्डर, रेत व भसकने वाला स्ट्रेट्रा होता है एवं इस स्ट्रेट्रा में पानी नहीं मिलने पर बाद में कड़ा पत्थर प्राप्त होता है ऐसी जगह पर इन मशीनों की सहायता से नलकूप का खनन किया जाता है।

3.1.1.1.3 हाइड्रोफ्रेक्चरिंग यूनिट:

- असफल नलकूपों को हाइड्रोफ्रेक्चरिंग कर सफल बनाने के लिए – 04 नग।

3.1.1.1.4 यील्ड टेस्ट यूनिट:

- नलकूपों की जल क्षमता का आंकलन करने के लिए 03 यील्ड टेस्ट यूनिट कार्यरत् हैं।

3.1.1.1.5 जिलेवार कार्यरत् रिग मशीन एवं हाइड्रोफ्रैक्चर यूनिट:

कमांक	जिला	रिग मशीन की खनन क्षमता (मीटर में)				हाइड्रोफैक्चर यूनिट
		90 मीटर	120 मीटर	150 मीटर	185 मीटर	
1	रायपुर	–	–	–	1	–
2	बलौदाबाजार	1	–	1	–	
3	धमतरी	–	1	1	–	
4	गरियाबंद	2	–	–	–	
5	महासमुंद	1	1	–	–	

कमांक	जिला	रिग मशीन की खनन क्षमता (मीटर में)				हाइड्रोफैक्चर यूनिट
		90 मीटर	120 मीटर	150 मीटर	185 मीटर	
6	दुर्ग	—	1	—	1	1
7	बालोद	1	—	—	—	
8	बेमेतरा	1	1	—	—	
9	राजनांदगांव	1	—	1		
10	कबीरधाम	1	1	—	—	
11	बिलासपुर	—	1	1	—	1
12	मुंगेली	—	1	—	—	
13	रायगढ़	—	1	1	—	
14	जांजगीर चांपा	—	1	—	1	
15	कोरबा	1	1	—	—	
16	अंबिकापुर	—	—	1	—	1
17	कोरिया	—	1	1	—	
18	बलरामपुर	1	1	—	—	
19	सूरजपुर	—	1	—	1	
20	जशपुर	—	2	—	—	
21	बस्तर	—	2	—	—	1
22	दंतेवाड़ा	—	—	1	—	
23	बीजापुर	1	—	—	—	
24	सुकमा	1	—	—	—	
25	कोंडागांव	—	—	1	—	
26	कांकेर	1	1	—	—	
27	नारायणपुर	1	—	—	—	
	योग–	14	18	9	4	4

ग्राम-सुलेंगा, विकासखंड-नारायणपुर, बसाहट- गायतापारा जिला-नारायणपुर नलकूप खनन कार्य

3.1.1.2. ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए नलजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन जल जीवन मिशन के अतिरिक्त राज्य मद से भी किया जाता है। नलजल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत पाईप लाईन एवं उच्च स्तरीय टंकी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन गुणवत्तायुक्त पेयजल की आपूर्ति किया जाना है।

3.1.1.3. समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजना:

विगत कुछ समय से भू–गर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन से भू–गर्भीय जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है, वहीं पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। परिणामतः भूगर्भीय जल स्रोतों की निरंतरता बनाए रखने एवं पेयजल व्यवस्था के लिए भू–गर्भीय जल पर निर्भरता को कम करते हुए सतही स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आज की महती आवश्यकता हो गई है। प्रदेश में ऐसे बसाहटें जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा प्राप्त भूजल की गुणवत्ता प्रभावित है, उन ग्रामों के समूहों के लिए सतही स्रोतों पर आधारित समूह जल योजनाएं प्रगतिरत् हैं।

उच्चस्तरीय जलागार ग्राम मोरधा
विकासखण्ड महासमुंद जिला महासमुंद

3.1.1.3.1 विभागीय बजट से क्रियान्वित समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएँ :

3.1.1.3.1.1 समूह ग्रामों की प्रगतिरत् जल प्रदाय योजनाएँ :

क्र.	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति
1.	बालोद	गुंडरदेही	ग्राम देवरी (द) समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	7	1095.68 1356.30 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 26.06.2018	90 प्रतिशत पूर्ण

3.1.1.3.1.2 समूह ग्रामों की पूर्ण जल प्रदाय योजनाएँ :

क्र.	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति	घरेलू नल कनेक्शन की संख्या
1.	बेमेतरा	नवागढ़	विकासखंड नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	54	6297.30 7885.06 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 05.10.2018	जलप्रदाय चालू	6,986
2.	बेमेतरा	बेमेतरा	विकासखंड बेमेतरा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	57	6322.03 7816.24 (पुनरीक्षित)	18.02.2013 14.10.2019	जलप्रदाय चालू	8,598
3.	बेमेतरा	साजा	विकासखंड साजा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	41	3825.00 4495.80 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 27.05.2019	जलप्रदाय चालू	4,654
4.	राजनांदगांव	चौकी	विकासखंड चौकी के आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों की समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	21	2041.63 2922.98 (प्रथम पुनरीक्षित) 3384.96 (द्वितीय पुनरीक्षित)	07.02.2015 16.03.2016 04.05.2017	जलप्रदाय चालू	5,112
5.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर	विकासखंड बस्तर के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों की कोसारटेडा समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	33	4976.00 4968.00 (पुनरीक्षित)	18.02.2013 10.09.2018	जलप्रदाय प्रारंभ	6,003

क्र.	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति	घरेलू नल कनेक्शन की संख्या
6.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	धीरी एनीकट पर 24 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	24	2877.44	18.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	7,665
7.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोहारा एनीकट पर आधारित 23 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	23	2334.60	18.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	5,706
8.	दंतेवाड़ा	गीदम	ग्राम छिंदनार समूह जलप्रदाय योजन	9	1835.36 2494.14 (पुनरीक्षित)	18.03.2016 18.06.2018	जल प्रदाय प्रारंभ	2,602
9.	कबीरधाम	बोड़ला	पोड़ी समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	11	1417.06 1618.99 (पुनरीक्षित)	09.02.2016 09.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	2,387
10.	सूरजपुर	सूरजपुर	हर्राटिकरा समूह जलप्रदाय योजना	18	3026.43	17.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	5,907
11.	बीजापुर	भोपालप टनम	भोपालपट्नम रालापल्ली की समूह जलप्रदाय योजना	19	1553.81	16.11.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	1,589

3.1.1.3.2 निक्षेप मद के अंतर्गत स्वीकृत समूह ग्रामों की प्रगतिरत् जलप्रदाय योजना

(दिसंबर 2022 की स्थिति में)

क्र.	जिला	योजना का नाम	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	स्वीकृत दिनांक	कुल स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	मद	भौतिक प्रगति अद्यतन
1	दन्तेवाड़ा	नेरली समूह जल प्रदाय योजना	8	11/01/2018	1482.55	एन.एम.डी.सी.	1,279 (जलप्रदाय प्रारंभ)
2	दन्तेवाड़ा	धुरली समूह जल प्रदाय योजना	17	11/01/2018	3866.00	एन.एम.डी.सी.	5,369 (जलप्रदाय प्रारंभ)
3	कोरबा	चोटिया समूह जल प्रदाय योजना	17	05/05/2017	3218.90	डी.एम.एफ.	परीक्षण कार्य प्रगति पर

3.1.1.4 संचालन एवं संधारण

राज्य बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप योजना, गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित आयरन रिमूव्हल प्लांट, फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट एवं आर.ओ. (रिवर्स ओस्मोसिस) के संधारण कार्य किये जाते है। इसी क्रम में हैण्डपंपों के नियमित संधारण कार्यों के साथ–साथ स्थापित हैण्डपंपों के विशेष संधारण कार्य, राईज़र पाईप बदलने/बढ़ाने के कार्यों के अतिरिक्त 15 वर्षों से अधिक पुराने हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य भी प्रावधानित है। हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य में आवश्यकतानुसार नये हैण्डपंप सेट (राईज़र पाईप सहित) की स्थापना एवं प्लेटफार्म का पुर्ननिर्माण कार्य सम्मिलित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित नलजल प्रदाय योजना एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए स्वीकृत मापदण्ड अनुसार क्रमशः रू. 15,000 एवं रू. 5,000 के वार्षिक अनुदान, दो समान किस्तों में ग्राम पंचायतों को प्रदान करने का प्रावधान है।

3.1.1.5 मिनीमाता अमृत धारा नल योजना :

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित नलजल योजनाओं से बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु ''मिनीमाता अमृत–धारा योजना'' अंतर्गत कुल 73,584 बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।

3.1.2 नगरीय जल प्रदाय योजनाएं :

नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य स्थानीय निकायों की माँग एवं सहमति पर विभाग द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का वित्तीय ढांचा 70 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं 30 प्रतिशत नगरीय निकायों को ऋण के रूप होता है। योजनाओं के हस्तांतरण उपरांत संचालन एवं संधारण का कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है।

कोटा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना अंतर्गत निर्माणाधीन जल शुद्धिकरण संयंत्र

प्रगतिरत् योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है -

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	रिमार्क
1	कांकेर	कांकेर	कांकेर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2454.46 पुनरीक्षित 3200.55	30.05.2012 21.04.2020	जलप्रदाय प्रारंभ
2	महासमुन्द	बागबाहरा	बागबाहरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1306.75 पुनरीक्षित 1543.79	11.02.2013 02.11.2020	जलप्रदाय प्रारंभ
3	गौरेला–पेण्ड्रा –मरवाही	कोटा	गौरेला नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1142.26/ पुनरीक्षित 1520.56	29.04.2013 26.02.2018	जलप्रदाय प्रारंभ
4	बस्तर	बस्तर	बस्तर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	949.49/ पुनरीक्षित 1270.33	14.02.2013 09.03.2018	जलप्रदाय प्रारंभ
5	कोरबा	कटघोरा	कटघोरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1073.28 पुनरीक्षित 2069.37	14.02.2013 16.11.2021	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
6	राजनांदगांव	डोंगरगांव	डोगरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना	1113.91 पुनरीक्षित 1284.81	06.10.2015 22.01.2022	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
7	रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	856.87/ पुनरीक्षित 1208.49	12.02.2013 30.05.2019	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
8	जांजगीर–चांपा	सक्ती	नया बाराद्वार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	321.96	10.03.2015	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
9	महासमुंद	महासमुंद	तुमगांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	930.02	22.03.2016	टेस्टिंग कार्य प्रगति पर
10	बेमेतरा	साजा	थानखम्हरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना	336.88 / पुनरीक्षित 638.32	14.02.2013 03.10.2020	प्रगतिरत
11	मुंगेली	बिल्हा	पथरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना	89.60 पुनरीक्षित 187.00	24.02.2014 28.10.2017	प्रगतिरत
12	मुंगेली	बिल्हा	सरगांव आवर्धन जलप्रदाय योजना	293.05	04.02.2015	प्रगतिरत
13	बीजापुर	बीजापुर	भैरमगढ़ आवर्धन जलप्रदाय योजना	1370.38	17.08.2017	प्रगतिरत
14	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर आवर्धन जलप्रदाय योजना	3448.70	31.03.2018	प्रगतिरत
15	धमतरी	सिहावा	मगरलोड–भैंसमुड़ी की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1023.96/ पुनरीक्षित 1354.78	26.03.2016 06.08.2021	प्रगतिरत

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	रिमार्क
16	रायपुर	धरसींवा	खरोरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1932.88	23.08.2017	प्रगतिरत
17	जांजगीर–चांपा	चंद्रपुर	डभरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1139.88	30.03.2017	प्रगतिरत
18	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2022.38	04.05.2016	प्रगतिरत
19	बलौदाबाजार–भाटापारा	कसडोल	पलारी आवर्धन जलप्रदाय योजना	1065.24	30.03.2017	प्रगतिरत
20	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	उतई नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1465.89	05.02.2016	प्रगतिरत
21	बालोद	डौंडीलोहारा	दल्लीराजहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3165.66	04.06.2016	प्रगतिरत
22	बिलासपुर	कोटा	कोटा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1848.65	18.03.2019	प्रगतिरत
23	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1164.99	28.03.2018	प्रगतिरत
24	रायगढ़	धरमजयगढ़	घरघोड़ा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	314.97 पुनरीक्षित 552.97	12.03.2013 24.05.2021	प्रगतिरत
25	रायगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना	3447.80	28.03.2018	प्रगतिरत
26	रायगढ़	सारंगढ़	बरमकेला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1333.04	31.03.2017	प्रगतिरत
27	कोरबा	तानाखार	पाली आवर्धन जलप्रदाय योजना	794.16	31.03.2017	प्रगतिरत
28	कोरबा	कटघोरा	छुरीकला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1089.55	31.03.2017	प्रगतिरत
29	जशपुर	जशपुर	बगीचा आवर्धन जलप्रदाय योजना	977.56	31.03.2017	प्रगतिरत
30	जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा आवर्धन जलप्रदाय योजना	801.37	31.03.2017	प्रगतिरत
31	कांकेर	भानुप्रतापपुर	चारामा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	933.31	26.02.2018	प्रगतिरत
32	बलरामपुर	रामानुजगंज	रामानुजगंज आवर्धन जलप्रदाय योजना	1274.55	31.03.2021	–

3.2 केंद्र प्रवर्तित/पोषित योजनाएं:

केन्द्रीय वित्त पोषण पर पेयजल एवं संबंधित अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित/पोषित योजना का विवरण निम्नानुसार है:–

3.2.1 जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.)

दिनांक 01.04.2019 से भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में पूर्व से क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के समस्त घटकों को समाहित कर दिया गया है।

15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में ''जल जीवन मिशन'' की घोषणा की गई है। जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में ''हर घर नल से जल'' उपलब्ध कराया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सितम्बर, 2023 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में ''हर घर नल से जल'' उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

उद्देश्य :- प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को किफायती सेवा डिलवरी प्रभार के बदले, नियमित और दीर्घकालीन आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना, ताकि ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

3.2.2 संस्थागत तंत्र :-

i. **राष्ट्रीय स्तर** – राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM) एक निदेशालय के रुप में कार्य करेगा। इस मिशन के पास ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालीक पेयजल उपलब्ध कराकर मिशन का सफल कार्यान्वयन करने हेतु आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

ii. **राज्य स्तर** – राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर समन्वय, मेलजोल और नीतिगत मार्गदर्शन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) का गठन किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भारसाधक सचिव, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) के सदस्य सचिव हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसायटी के रुप मे पंजीकृत है। राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) को समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.02.2021 में पारित निर्णय अनुसार प्रदान की गई है।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) में (i) शीर्ष समिति (ii) कार्यकारिणी समिति है।

iii. **शीर्ष समिति** :– शीर्ष समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव एवं सदस्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भारसाधक सचिव हैं।

iv **कार्यकारिणी समिति** :– कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मिशन संचालक, जल जीवन मिशन एवं सदस्य सचिव प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु समस्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित किया है।

v. **जिला स्तर** – जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) के अध्यक्ष जिला कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हैं।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.02.2021 में पारित निर्णय अनुसार जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु एकल/समूह में ग्राम की नलजल योजना/रेट्रोफिटिंग कार्यों (ग्राम के अंदर के कार्यों) का एकल/समूह में निविदा के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों–सर्वे, डीपीआर, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, निविदा प्रकरण के निराकरण, अनुबंध करने, कार्यादेश जारी करने एवं क्रियान्वयन करने संबंधित समस्त अधिकार एवं रु. 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपा गया है।

vi. **ग्राम पंचायत स्तर** – ग्राम जल स्वच्छता समिति (VWSC) अंतःग्राम जल आपूर्ति एवं संरचना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख–रखाव हेतु समिति गठित है। हर ग्रामीण घर में घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराना समिति की मुख्य भूमिका है। ग्राम सभा संकल्प और सामुदायिक योगदान के माध्यम से प्रतिबिम्बित समुदाय की तत्परता, गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने के कार्य भी समिति द्वारा किया जायेगा। संविधान के 73वें संशोधन में परिकल्पित विधिमान्य इकाई के रुप में समिति कार्य करेगी।

vii. **कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (Implementation Support Agency)**

गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों/महिला स्व–सहायता समूहों को आईएसए कहा जायेगा। वे अंतःग्राम आपूर्ति एवं संरचना की आयोजना, डिजाईन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख–रखाव के लिए समुदायों को प्रेरित करने और साथ लाने में भागीदार के रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, जल संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका, आदि के क्षेत्र में काम करने वाले उपयुक्त जिलेवार गैर–सरकारी संगठनों की पहचान करेगा।

viii. **जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए नोडल विभाग :–**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए नोडल विभाग है।

ix. **सेक्टर साझेदार :–**

सेक्टर साझेदार के रुप में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां (यूनिसेफ) एवं गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कार्यरत् है।

3.2.3 वित्तीय आयोजना :-

(अ) **कव्हरेज मद :–** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 93 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद के अंतर्गत ग्राम/बसाहटों में पेयजल आपूर्ति के कार्य किये जाने का प्रावधान है। साथ ही जलगुणवत्ता जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड

एवं भारी तत्व (हैवी मेटल) से प्रभावित बसाहटों में शुद्व पेयजल व्यवस्था करने का भी प्रावधान हैं। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 एवं सामुदायिक अंशदान 10/5 प्रतिशत है।

(ब) सपोर्ट मद :– जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 5 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। सपोर्ट मद के अंतर्गत योजनाओं के प्रचार–प्रसार, जन–जागरूकता एवं अन्य सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

(स) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी मद :– जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 2 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद में पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण हेतु जल परीक्षण प्रयोगशाला हेतु उपकरण एवं केमिकल्स की आपूर्ति, फील्डटेस्ट किट का क्रय, जल परीक्षण से संबंधित रसायनों का क्रय तथा जलगुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

समुदाय का अंशदान :–

i. योजना के लागत में अंशदान (Cap- Ex)

क. इन विलेज वॉटर सप्लाई संरचना के लिए 10 प्रतिशत अंशदान नगद/वस्तु/श्रम (Cash/Kind/Labour)।

ख. 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ग्रामों हेतु 5 प्रतिशत अंशदान नगद/वस्तु/श्रम (Cash/Kind/Labour)।

ग. पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 5 प्रतिशत अंशदान।

घ. अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान या दान के मामले में, शेष राशि, 10 प्रतिशत/5 प्रतिशत (जैसा भी मामला हो), समुदाय का अंशदान होगा।

च. समुदाय मूल मॉडल से अधिक Service delivery की योजना बना सकता है, इस शर्त के अधीन, कि मूल मॉडल से परे, पूरी लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी।

ii. योजना के संचालन–संधारण हेतु अंशदान (Om-Ex)

क. संबंधित राज्यों के द्वारा नल कनेक्शन शुल्क, जल–कर दरें एवं अन्य शुल्क निर्धारण करने तथा करों की वसूली का अधिकार पंचायतों को सौपे जाने की कार्यवाही करेगी।

ख. योजना की लागत का 10 प्रतिशत राशि संचालन एवं संधारण कार्य हेतु अनुदान पारितोषक के रूप में प्रदान की जावेगी जिसका उपयोग योजना के आकस्मिक संचालन एवं संधारण में किया जावेगा जिसकी भरपाई समुदाय के द्वारा जल कर से किया जावेगा, जो रिवाल्विंग फंड के रूप में रहेगा।

3.2.4 योजनाएं एवं क्रियान्वयन:-

योजनांतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में एक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन, जिसके माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, निर्धारित गुणवत्ता का दीर्घकालीक आधार पर नियमित जलप्रदाय किफायती शुल्क पर दिया जावेगा। इसके लिये निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के तहत गांव के भीतर स्रोत के विकास सहित जल आपूर्ति अव–संरचना का निर्माण करके प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करना है :–

1. अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी देने के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत चल रही योजनाओं के रेट्रोफिटिंग।
2. पूर्ण हो चुकी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को जल जीवन मिशन के अनुकूल बनाने के लिए उनकी रेट्रोफिटिंग।
3. निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भूजल/सतही स्रोत वाले गांवों में एकल ग्राम योजना।
4. शोधन की आवश्यकता वाले किंतु पर्याप्त भूजल वाले गांवों में एकल ग्राम योजना।
5. जलग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना के साथ समूह जलप्रदाय योजना।
6. एकांत/जनजातीय छोटे गांवों/बसाहटों में लघु सौर ऊर्जा आधारित पाइप जल आपूर्ति।

3.2.5 जल जीवन मिशन के तहत एकीकृत जल प्रबंधन और आपूर्ति :-

स्रोत सुदृढ़ीकरण/संवर्धन, सभी सार्वजनिक भवनों पर वर्षा जल संचयन, बोरवेल रिचार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं स्रोत स्थिरता हेतु मनरेगा, एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना (आईडब्ल्यूएमपी), वित्त आयोग के अनुदान, राज्य योजना, एमपी लेड, एमएलए लेड, सीएसआर आदि मदों के अभिसरण से बुनियादी ढाँचे का विकास, निर्माण एवं पुनर्जिवीकरण।

i. अपशिष्ट जल प्रबंधन (Grey water management)।
ii. अपशिष्ट जल संवहन एवं संकलन हेतु नालियों का निर्माण ।
iii. सामुदायिक सोखता गड्ढा/ अपशिष्ट स्थिरीकरण हेतु टैंको (Community soak pits/ waste stabalization ponds) का निर्माण।

3.2.6 सहायक गतिविधियाँ :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जेजेएम) के अंतर्गत की जाने वाली सहायक गतिविधियों हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं–

01. सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :–

प्रशिक्षण, कार्यशाला, व्यक्तिगत् संपर्क, समाचार पत्र विज्ञापन, एस.एम.एस. से प्रचार, कला जत्था, मेला में प्रदर्शनी, दिवाल लेखन, बेनर, होर्डिंग, पोस्टर, पांपलेट, अच्छे कार्य एवं अनुभव के आदान प्रदान हेतु अवलोकन/भ्रमण कार्यक्रम (एक्सपोजर विजिट), प्रिन्ट सामाग्रियों का वितरण, सम्मान

समारोह, रैली, सामाजिक जागरूकता/गतिशीलता, परामर्श, गीत–संगीत, नाटक, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा पेयजल के विषय पर प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ।

02. सामुदायिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन, सामुदायिक रैली, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों की बैठक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों को ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिकल्पना, अनुश्रवण एवं संचालन हेतु प्रशिक्षण तथा मैदानी स्तर के अमले के साथ–साथ विभागीय अभियंताओं का प्रशिक्षण आदि।

03. मैनेजमेन्ट इनफार्मेशन सिस्टम एवं अन्य सहायक गतिविधियॉ :–

उपखण्ड़ स्तर तक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, प्रिंटर एवं यू.पी.एस. आदि का क्रय, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी.आई.एस. डाटा प्रोडक्ट एवं एलाईड गतिविधियाँ, लोक शिकायत निदान पद्धति एवं उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित एच.जी.एम. मैप की सहायता से भूगर्भीय जल स्रोतों का चिन्हांकन, समस्त पेयजल स्रोतों का जी.आई.एस. मैपिंग एवं आँकड़ों के संकलन का कार्य, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ आदि।

3.2.7 विविध गतिविधियां :-

(क) स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता एजेन्सी (Independent third party) द्वारा मूल्यांकन एवं सम–सामयिक अनुश्रवण (Concurrent monitoring)।

(ख) प्रदान किये गये घरेलू नल कनेक्शनों एवं उनकी पुष्टी के आधार पर राशि जारी किया जाना।

(ग) ग्राम में FHTC से नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के जल को प्रदाय के डाटा को आईओटी/आई क्लाउड से पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत मॉनिटरिंग किया जाना।

(घ) डिजीटल तकनीक का वृहद उपयोग।

3.3 जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन :

राज्य में कुल 50.07 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से लाभान्वित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत राशि प्रस्तावित कार्ययोजना राशि रू. 8089.89 करोड़ की स्वीकृत भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में नलजल योजना क्रियान्वित कर (रेट्रोफिटिंग, एकल नलजल प्रदाय योजना एवं सोलर आधारित जलप्रदाय योनाएं) 23,57,744 ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कर लाभान्वित किया जाना लक्षित है।

लक्षित कार्यों की पूर्ति हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत दिनांक 31.12.2022 तक 28,881 कार्यों के अंतर्गत 44,59,179 घरेलू नल कनेक्शन के लिए रू. 2103813.47 लाख लागत की प्रशासकीय स्वीकृतियॉ जारी की गयी हैं। जिलेवार विवरण अग्रानुसार है:–

जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत योजना, एवं एफ.एच.टी.सी. एवं लागत संबंधी सारणी

स्थिति दिनांक 31.12.2022

क्रमांक	जिला	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत घरेलू नल कनेक्शन	कुल लागत (रु. लाख में)
1	बालोद	694	153521	77826.08
2	बलौदाबाजार	963	263810	106563.49
3	बलरामपुर	2107	192822	134141.23
4	बस्तर	630	152908	67640.67
5	बेमेतरा	725	152946	63645.70
6	बीजापुर	574	48657	35487.79
7	बिलासपुर	909	204687	72448.46
8	दंतेवाड़ा	290	52769	29334.57
9	धमतरी	718	121739	50230.82
10	दुर्ग	385	114953	39686.55
11	गरियाबंद	873	129343	59606.98
12	गौरेला–पेण्ड्रा– मरवाही	563	82465	32791.74
13	जांजगीर–चांपा	1149	297114	131410.29
14	जशपुर	3333	199940	134526.69
15	कांकेर	1300	144424	82213.91
16	कबीरधाम	964	176396	89426.85
17	कोण्डागांव	605	119350	66533.59
18	कोरबा	1095	197758	70987.67
19	कोरिया	1330	129231	66230.71
20	महासमुन्द	1123	220877	88831.38
21	मुंगेली	700	163382	64621.12
22	नारायणपुर	404	26727	25781.51
23	रायगढ़	1849	311122	125579.61
24	रायपुर	517	157198	64047.43
25	राजनांदगांव	1615	229130	113212.46
26	सुकमा	437	56210	32260.58
27	सुरजपुर	965	179884	72332.82
28	सरगुजा	2064	179816	106412.77
	योग –	**28881**	**4459179**	**2103813.47**

जल जीवन मिशन अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत योजना में सम्मिलित ग्राम के बाहर के कार्यो के लिए जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों का जिलेवार विवरण

स्थिति दिनांक 31.12.2022

क्र.	जिला	योजना का नाम	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	FHTC की संख्या	योजना की लागत (लाख में)
1	2	3	4	6	8
1	रायपुर	मानिकचौरी	38	17626	7443.00
2	बलौदाबाजार	गिरौदपुरी	23	17697	5649.25
3	बलौदाबाजार	खर्वे	8	1654	629.81
4	बलौदाबाजार	तिल्दाबांधा	35	14917	7988.41
5	बलौदाबाजार	बिटकुली–रामपुर	41	11798	6155.19
6	बलौदाबाजार	तरेंगा–देवरी	32	11941	5087.00
7	बलौदाबाजार	आगमधाम (खड़वा)	50	16618	7551.21
8	बलौदाबाजार	अहिल्दा पण्डरिया	44	20367	8485.00
9	गरियाबंद	सुपेबेड़ा	9	2074	1034.32
10	धमतरी	सांकरा	40	18631	3145.05
11	धमतरी	घटुला	36	10827	3245.26
12	महासमुंद	समोदा–अछोला	48	12395	6658.00
13	दुर्ग	चंदखुरी–कोलिहापुरी–पिसेगांव	31	19210	4507.37
14	दुर्ग	ओदरागहन–सुरपा	19	5486	2119.25
15	दुर्ग	जेवरा–सिरसाखुर्द–भटगांव	17	11753	2580.95
16	दुर्ग	निकुम	13	7443	2629.90
17	दुर्ग	पथरिया	28	11296	4662.88
18	दुर्ग	अमलेश्वर	17	9259	2280.35
19	दुर्ग	कौही	14	6053	2004.23
20	दुर्ग	अंजोरा ढ़ाबा	50	13785	5965.69
21	दुर्ग	मोतिमपुर	57	12555	6445.89
22	बालोद	कनेरी	28	9027	4221.00
23	बालोद	हीरापुर	57	20069	7769.00
24	बालोद	जुंगेरा	32	8780	5041.00
25	बालोद	डौण्डीलोहारा	31	11680	5500.00
26	राजनांदगांव	मोंगरा	330	70121	39647.41
27	राजनांदगांव	बुढ़ानभाट	31	7300	2877.85
28	राजनांदगांव	एल.बी. नगर	20	6218	2135.50
29	राजनांदगांव	माथलडबरी	12	4115	1461.54
30	कबीरधाम	ठाठापुर–दशरंगपुर– इंदौरी	25	8756	5344.14
31	कबीरधाम	रेंगाखार	15	3556	1721.00
32	कबीरधाम	धमकी बम्हनी	16	4235	1930.14

क्र.	जिला	योजना का नाम	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	FHTC की संख्या	योजना की लागत (लाख में)
33	बेमेतरा	कुम्हीगुड़ा	85	18805	11054.56
34	बेमेतरा	अमलडीहा	72	19448	10607.93
35	बेमेतरा	खम्हरिया	62	14356	7046.81
36	बिलासपुर	मंगला पासिद	23	6639	3442.00
37	बिलासपुर	हरदी–भटचौरा	21	7626	3823.17
38	बिलासपुर	चपोरा	18	5749	3042.50
39	बिलासपुर	भैसाझार–मोहनभाठा –खम्हरिया	31	14067	7327.56
40	मुंगेली	मदकू	34	8433	4351.54
41	मुंगेली	खुड़िया	206	59612	29011.99
42	जांजगीर–चांपा	केरा	19	12407	5944.00
43	जांजगीर–चांपा	पामगढ़	13	10567	4223.00
44	रायगढ़	भद्रा रीवापार	84	27570	10159.32
45	रायगढ़	घोठला छोटे हरदी	69	18637	6875.24
46	रायगढ़	भेलवा टिकरा–सम्बलपुरी	29	6924	3665.00
47	रायगढ़	कलमा कोड़ातराई	58	15202	5804.00
48	रायगढ़	बरगांव–कंचनपुर	102	26169	9834.32
49	रायगढ़	तमनार	54	18134	9127.81
50	जीपीएम	बसंतपुर–जटादेवरी	16	5457	2347.07
51	कोरबा	एतमा नगर	245	72619	43196.88
52	सुरजपुर	बिहारपुर	19	7961	2835.40
53	सूरजपुर	खर्रा–इन्दरपुर	19	4326	2044.47
54	सूरजपुर	गांगीकोट–केनापारा	25	7248	3113.99
55	सूरजपुर	हर्राटिकरा–2	8	2652	1416.87
56	सूरजपुर	रूनियाडीह	26	10199	3755.40
57	सूरजपुर	दुग्गा–बतरा	16	6355	2784.34
58	सूरजपुर	झिलमिली	55	22007	6616.19
59	सूरजपुर	बड़वार	21	5556	2642.77
60	सूरजपुर	बगड़ा–केरता	28	8866	4539.93
61	सूरजपुर	सारासौर	52	17189	7181.07
62	सूरजपुर	रामानुजनगर–प्रेमनगर– नवगई (बांगो)	144	55314	27947.44
63	कोरिया	घुटरा	29	4517	2329.34
64	कोरिया	कटघोड़ी	35	6539	2935.85
65	कोरिया	लाई	20	4288	2043.42
66	कोरिया	खरलाधार	30	4042	1642.49

क्र.	जिला	योजना का नाम	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	FHTC की संख्या	योजना की लागत (लाख में)
67	कोरिया	चैनपुर	25	6271	2783.71
68	कोरिया	बरदर	27	7484	4054.18
69	कोरिया	नरकेली	24	4748	2472.79
70	कोरिया	बरदिया	43	13034	4695.52
71	कोरिया	उधनापुर	29	8138	2783.68
72	कोरिया	तामडांड	30	9299	4760.37
73	सरगुजा	दरिमा– करजी	45	16081	6151.24
74	सरगुजा	डांडगांव	17	3897	2189.80
75	सरगुजा	खैरबार	32	13144	6125.80
76	सरगुजा	पोड़ीखुर्द–सलका	80	27575	10636.02
77	सरगुजा	देवीटिकरा	33	10684	5494.76
योग–			**3400**	**1063077**	**480778.13**

जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन उच्चस्तरीय जलागार
ग्राम - छुरिया डोंगरी, विकासखंड- छुरिया, जिला राजनांदगांव

3.3.1 जल जीवन मिशन के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

3.3.1.1 भौतिक प्रगति :

1.	31 मार्च 2021 की स्थिति में उपलब्ध कनेक्शन	5,66,473
2.	वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपलब्ध कराये गये कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन	4,45,107
3.	01 अप्रैल 2022 से 31.12.2022 तक उपलब्ध कराये गये कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन	7,91,503
4.	अद्यतन में कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन (31.12.2022) कुल	**18,03,083**

कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन ग्राम दुर्गापुर, विकासखण्ड बैकुंठपुर जिला कोरिया (बैकुंठपुर)

जिलेवार वर्ष 2022-23 में प्रदाय कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन

स्थिति दिनांक 31.12.2022

क्रमांक	जिला	प्रदाय कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) संख्या
1	बालोद	34808
2	बलौदाबाजार	41010
3	बलरामपुर	20849
4	बस्तर	21409
5	बेमेतरा	30793
6	बीजापुर	9823
7	बिलासपुर	28076
8	दंतेवाड़ा	7780
9	धमतरी	37091
10	दुर्ग	25552
11	गरियाबंद	31211
12	गौरेला–पेण्ड्रा– मरवाही	10732
13	जांजगीर–चांपा	66912
14	जशपुर	28323
15	कांकेर	19953
16	कबीरधाम	41742
17	कोण्डागांव	29443
18	कोरबा	16794
19	कोरिया	23528
20	महासमुन्द	39928
21	मुंगेली	40902
22	नारायणपुर	5655
23	रायगढ़	36646
24	रायपुर	46914
25	राजनांदगांव	46072
26	सुकमा	8415
27	सुरजपुर	20454
28	सरगुजा	20688
	कुल :–	**791503**

3.3.1.2 सोलर आधारित जलप्रदाय योजना-

राज्य की ग्रामीण बसाहटें जो वनांचल/पहाड़ी बसाहटें/विरल हैं जहां नल जल योजना के क्रियान्वयन में लागत अधिक आती है वहां सोलर आधारित जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन जलजीवन मिशन अंतर्गत किया जा रहा है। सोलर आधारित जलप्रदाय योजना में सोलर पंप स्थापना हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) है। सोलर आधारित जलप्रदाय योजना अंतर्गत दिसम्बर 2022 की स्थिति में 4,695 सोलर पंप स्थापित कर कुल 1,91,377 ग्रामीण परिवार, कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से लाभान्वित किये गये।

सोलर आधारित पेयजल योजना ग्राम जामवदा, विकासखण्ड जगदलपुर, जिला बस्तर

3.3.1.3 जलगुणवत्ता अनुश्रवण :

पेयजल गुणवत्ता की अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ चलित प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की गई है। इसी की निरंतरता में प्रदेश के जिलों के समस्त पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई.एस. मानक अनुसार 13 पैरामीटर पर करते हुए जी.पी.एस. डाटा कलेक्शन, सेनेटरी सर्वे सहित प्रत्येक स्त्रोत की डिजिटल GIS Maping के कार्य प्रगतिरत् है।

राज्य में एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त एक राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में कार्यरत है। जहॉ जल नमूनों में मौजूद हैवी मेटल एवं विशेष तत्व जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, लेड आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है।

राज्य में 28 जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जिसमें से अद्यतन में कुल 25 जिला जल परीक्षण प्रयोग शालाएं एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त है। जिसमें से इस वित्तीय वर्ष (31.12.2022 तक) में 09 जिला क्रमशः कोरिया, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा, कोण्डागांव, बीजापुर, सुकमा, जशपुर, सूरजपुर एवं सरगुजा के जिला स्तरीय जल प्रयोगशालाओं द्वारा एन.ए.बी.एल. मान्यता (Accreditation) प्राप्त की गयी है।

राज्य में 24 उपखण्ड स्तरीय जलपरीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत हैं जिसमें से क्रमशः छुईखदान, चौकी, पाटन, साजा, सरायपाली, डौडी, भाटापारा, गुण्डरदेही, कटघोरा, पण्डरिया एवं अभनपुर इस प्रकार कुल 11 उपखण्डों के द्वारा प्राप्त एन.ए.बी.एल. से संबंधता (Recognized) मान्यता प्राप्त कर ली गयी है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पंचायतों में जलगुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्टकिट उपलब्ध कराकर प्रत्येक ग्राम की 5–5 महिलाओं को कुल 92995 (जल बहिनी) को प्रशिक्षण प्रदाय किया जाकर पेयजल परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

एफ.टी.के. के माध्यम से पेयजल परीक्षण एवं प्रशिक्षण ग्राम सोना कुकनार जिला सुकमा

3.3.1.4 जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केन्द्रः

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल परीक्षण अनुश्रवण हेतु परीक्षण कार्य में लगे मानव संसाधनों की कार्य कुशलता में बृद्वि एवं प्रयोगशाला के संसाधनों को गुणवत्ता युक्त रखने हेतु राज्य स्तर पर संसाधन केन्द्र कार्यरत् हैं।

3.3.1.5 जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य -

जल जीवन मिशन/अभिसरण के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में गुणवत्ता युक्त रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति निम्नानुसार हैः–

विवरण	संख्या	रनिंग वॉटर युक्त	प्रतिशत
शाला	45,796	43,844	96
आंगनबाड़ी	45,732	41,661	91
आश्रमशाला	2,468	2,468	100
ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र	5,374	5,243	98
ग्राम पंचायत भवन	10,899	6,600	61

3.3.1.6 जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाओं (आई एस ए) की गतिविधियाँ :-

जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाओं (आई एस ए) के रूप में राज्य के विभिन्न जिलों में 97 संस्थाओं के कुल 307 टीम को जल जीवन मिशन से सम्बंधित कार्यों के क्रियान्वयन में लगाया गया है। इन सहयोगी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में PRI प्रशिक्षण एवं आई.ई.सी. गतिविधियाँ, VWSC के बैठकों का आयोजन तथा समुदायों के बीच जन जागरूकता अभियान एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन

हर घर जल उत्सव ग्राम कुटेला, विकासखण्ड आरंग, जिला रायपुर

में समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित कराया जा रहा है।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए 3 प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर कुल 140 आई.एस.ए. कार्यकर्ताओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार 22 जिलों में कुल 1167 आई.एस.ए. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

3.3.1.7 जल जीवन मिशन के अंतर्गत तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (टी.पी.आई.ए.) :-

जल जीवन मिशन के अंतर्गत तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (टी.पी.आई.ए.), राज्य स्तर पर 13 संस्थाएं एवं जिला स्तर पर विभिन्न जिलों में 14 संस्थाओं के कुल 102 टीम, को जल जीवन मिशन के अंतर्गत सम्बंधित कार्यों के कियान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।

3.3.1.8 सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार :-

22 मार्च, 2022 से 22 अप्रैल, 2022 तक ग्राम पंचायत स्तर पर एक माह का **"मोर गांव–मोर पानी"** अभियान का क्रियान्वयन किया गया जहॉ जल संरक्षण, गंदे–पानी के उचित प्रावधान तथा वर्षा जल संचयन आदि से संबंधित गतिविधियों/कार्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर समुदायों के सहयोग से अभियान चलाया गया।

01 जुलाई से 15 जुलाई, 2022 तक ग्राम पंचायत स्तर पर जल गुणवत्ता जॉच एवं निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए दो सप्ताह का **"जलगुणवत्ता पखवाड़ा"** अभियान के रूप में सभी जिलों में आयोजित किया गया। जहां पंचायत स्तर के स्थानीय समुदाय एवं **"जल बहिनी"** के सहयोग से पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता निरीक्षण, इसके महत्व, जल जनित बीमारियों, स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों और पीने के पानी के सुरक्षित रख–रखाव एवं भण्डारण के विभिन्न पहलुओं के बारे में जन जागरूक अभियान चलाया

गया।

02 अक्टूबर, 2022 से जारी– **"स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान"** राज्य के प्रत्येक जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मनाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पेयजल की गुणवत्ता जांच, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जन जागरूकता का प्रसार किया जाना है। ग्राम पंचायत एवं जिला स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियों के तहत कुल 9030 प्रचार–प्रसार गतिविधियां की गयी।

जल जीवन मिशन अंतर्गत जल बहिनियों के प्रेरक कार्य ग्राम माण्डाभर्री जिला कांकेर

3.3.1.9 क्षमता विकास गतिविधियां :-

क्षमता विकास के लिए भारत सरकार के चयनित संस्थान (के.आर.सी.) के माध्यम से लेवल–2 के लिए कुल 7 ट्रेनिंग आयोजित किये गये जिसमें 130 प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इसी प्रकार लेवल–3 के लिए कुल 20 ट्रेनिंग आयोजित किये गये जिसमें 1051 प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की वेबसाईट में त्रुटि विहीन डाटा इन्द्राज करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समस्त अभियंताओं– कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता (एम.आई.एस. प्रभारी) तथा डाटा एन्ट्री आपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

ग्राम पंचायतों को जल प्रदाय योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। इस हेतु जलजीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक प्रतिभागी को प्लंबर, इलेक्ट्रेशियन, फिटर, पंप चालक की प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु 309 प्रशिक्षण संख्या के अंतर्गत 12022 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

यूनीसेफ के सहयोग से कुल 11 जिलों में 16 प्रशिक्षण संख्या के अंतर्गत 564 प्रतिभागियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

3.4 वित्तीय प्रगति :

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये सितम्बर–2023 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 उपलब्ध राशि एवं व्यय (राशि रू. करोड़ में)

स. क.	अवयव	प्रारंभिक अवशेष (दिनांक 01.04.2021 की स्थिति)	प्रावधानित राशि	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय (दिनांक 31.03.2022 की स्थिति में आई.एम.आई. एस.रिपोर्ट के आधार पर)	प्रतिशत व्यय	शेष राशि
1	केन्द्रांश	168.32	726.19	477.24	645.76	498.69	77.23%	147.07
2	राज्यांश	170.11	726.19	466.65	636.76	488.63	76.74%	148.13
कुल		**338.43**	**1452.38**	**943.89**	**1282.52**	**987.32**	**76.98%**	**295.20**

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022–23 के लिये उपलब्ध राशि एवं व्यय (दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक) की जानकारी निम्नानुसार है :–

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में (राशि रू करोड़ में)

स. क.	अवयव	प्रारंभिक अवशेष (दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में)	प्रावधानित राशि	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल अद्यतन व्यय (दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में आई.एम.आई. एस .रिपोर्ट के आधार पर)	प्रतिशत व्यय	शेष राशि
1	केन्द्रांश	147.07	500.00	1111.99	1259.06	919.25	73.01%	339.81
2	राज्यांश	148.13	800.00	1086.05	1234.18	908.82	73.64%	325.36
कुल		**295.20**	**1300.00**	**2198.04**	**2493.24**	**1828.07**	**73.32%**	**665.17**

टीप–वित्त विभाग की अनुमति से केन्द्रांश की प्रावधानित राशि रू. 500 करोड़ में से राशि रू. 487.12 करोड़ का राज्यांश राशि के रूप में उपयोग हेतु पुनर्विनियोजन किया गया।

इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य आगामी शेष अवधि में जल जीवन मिशन के कार्यों का क्रियान्वयन द्रुतगति से कराये जाने हेतु दृढ़ संकल्पित है, जिससे आगामी लक्ष्यों की पूर्ति के साथ पूर्व के शेष लक्ष्यों की पूर्ति भी सुनिश्चित की जावेगी।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का एक जन कल्याणकारी, तकनीकी कार्यविभाग है। पेयजल के क्षेत्र में जहां विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, वहीं ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में विभाग से सलाहकार, समन्वयक एवं प्रोत्साहक की भूमिका अपेक्षित है। विभाग की गतिविधियों का सीधा संबंध जन सामान्य से है एवं बदली हुई परिस्थितियों में शासकीय योजनाओं की परिकल्पना, आयोजना के साथ ही उनके संचालन एवं संधारण व्यवस्था में जन सामान्य की आवश्यकता, मान्यता एवं उनके सुझावों सहित भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए जहां जन सामान्य को सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित एवं जागरूक करते हुए इस महती भूमिका के निर्वहन के लिए सक्षम बनाया जाना है वहीं तकनीकी अमला जो योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन, क्रियान्वयन एवं संचालन–संधारण से संबद्ध है, उन्हें भी समसामयिक कर्तव्यों के लिए तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण के साथ ही साथ सूचना, शिक्षा, संचार एवं जनसहभागिता के लिए आवश्यक विषयों के ज्ञान एवं नये–नये विषयों से अवगत कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी स्तर के अमले के साथ ही अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे हितग्राहियों, पंचायती राज संस्थाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिसरण के लिए अन्य विभागों के मैदानी स्तर के शासकीय अमले को प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के तहत विभिन्न विषयों में 19 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष का प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया है।

वर्ष 2022 के दौरान जिन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभागीय अमले की भागीदारी रही है वह निम्नानुसार हैं

क्रं.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रतिभागियों की संख्या	टीप
1.	वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में विषय पर प्रशिक्षण	06.05.2022	संचालक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एण्ड ट्रेफिक रिसर्च ग्राम तेदुंआ, आई.आई.एम. मार्ग नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़	04	प्रशिक्षण पूर्ण
2.	सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण	18.05.2022 से 20.05.2022	गूगल मीट प्लेटफार्म (छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर)	03	प्रशिक्षण पूर्ण
3.	आरक्षण रोस्टर विषय पर प्रशिक्षण	08.06.2022 से 10.06.2022	गूगल मीट प्लेटफार्म (छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर)	02	प्रशिक्षण पूर्ण
4.	विभागीय जांच विषय पर प्रशिक्षण	15.06.2022 से 17.06.2022	गूगल मीट प्लेटफार्म (छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर)	02	प्रशिक्षण पूर्ण
5.	जल गुणवत्ता विश्लेषण और प्रयोगशाला अभ्यास विषय पर प्रशिक्षण	18.07.2022 से 22.07.2022	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़	03	प्रशिक्षण पूर्ण
6.	सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण	17.08.2022 से 18.08.2022	गूगल मीट प्लेटफार्म (छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर)	02	प्रशिक्षण पूर्ण
7.	पब्लिक प्रोक्योरमेंट (एस.सी.टी. पी.) विषय पर प्रशिक्षण	21.09.2022 से 23.09.2022	गूगल मीट प्लेटफार्म (छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर)	02	प्रशिक्षण पूर्ण
8.	रिमोट सेंसिंग एवं जी.आई.एस. टेक्नोलॉजी विषय पर प्रशिक्षण	27.09.2022	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर	08	प्रशिक्षण पूर्ण
9.	फायनेंशियल मैनेजमेंट विषय पर प्रशिक्षण	31.10.2022 से 02.11.2022	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर	02	प्रशिक्षण पूर्ण
10.	फायनेंशियल मैनेजमेंट विषय पर प्रशिक्षण	09.11.2022 से 11.11.2022	गूगल मीट प्लेटफार्म (छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर)	02	प्रशिक्षण पूर्ण
11.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत भूभौतिकीय प्रशिक्षण विषय पर प्रशिक्षण	28.11.2022 से 02.12.2022	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, सेक्टर 23, राज्योत्सव मेला ग्राउंड के पीछे, मुक्तांगन के पास, ग्राम–तूता, अटल नगर, नवा रायपुर	13	प्रशिक्षण पूर्ण
12.	अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत विभिन्न ट्रेडों (सिविल इंजी., कम्प्युटर इजी., आई टी. इंजी., मेके. इंजी., डिग्री/डिप्लोमा एवं माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा) में प्रशिक्षण	01.01.2022 से 31.12.2022	विभाग के विभिन्न कार्यालयों में	19	प्रशिक्षण पूर्ण
			कुल	**72**	

भाग - पाँच

विभागीय प्रकाशन

.....निरंक.....

भाग - छः

अभिनव योजना

.....निरंक.....

भाग - सात

सारांश

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नोडल विभाग है। जन सामान्य के लिए शुद्ध पेयजल की निरंतरता एवं पर्याप्त उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की निरंतर एवं पर्याप्त उपलब्धता के लिए पेयजल की गुणवत्ता के साथ–साथ भू–जल संवर्धन के कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसके लिए यथोचित प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हैंडपंप और नल जल योजनाओं के द्वारा की जा रही हैं, वहीं शहरीय क्षेत्रों के लिए उनकी मांग अनुसार जलप्रदाय योजनाओं का अभिकल्पन, रूपांकन एवं क्रियान्वयन भी किया जाता है।

7.1 ग्रामीण पेयजल व्यवस्था

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य मद की योजनाओं के अतिरिक्त जल जीवन मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निरंतर, गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। ग्रामीणजनों को सुरक्षित एवं 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उनके घरों में ही कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की दिशा में विभाग द्वारा जहां नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी–छोटी बसाहटों में भी सोलर पंप आधारित जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से भी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है।

भू–जल स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतही स्रोत पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विभिन्न तकनीकों पर आधारित शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कर, शुद्ध पेयजल प्रदाय के प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों एवं पेयजल योजनाओं की निरंतरता बनाये रखने, संचालन–संधारण, नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण में समुदाय की भागीदारी है।

पेयजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं उस पर निगरानी के लिए लगातार पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ चलित प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की गई है। इसी की निरंतरता में प्रदेश के समस्त पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई. एस. मानक अनुसार 13 पैरामीटर पर किया जा रहा है।

7.2 जल जीवन मिशन के अंतर्गत सोलर आधारित नलजल योजना -

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में ''हर घर नल से जल'' के तहत् प्रत्येक ग्रामीण परिवार को FHTC (कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन) के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दूरस्थ/वनांचल/रिमोट क्षेत्र/बिजली की समस्या से ग्रसित क्षेत्रों में सोलर ड्यूअल पंप के माध्यम से नलजल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

7.3 नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था :

प्रदेश में पेयजल प्रदाय के क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को विशेषज्ञ अभिकरण की हैसियत प्राप्त है। विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिए उनकी मांग के अनुसार जल प्रदाय योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। छ0ग0 राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। नगरीय क्षेत्रों में पूर्व से क्रियान्वित पेयजल योजनाओं का वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आवर्धित करने के साथ ही नवीन नगरीय निकायों में ग्रामीण मापदण्ड आधारित क्रियान्वित जलप्रदाय योजनाओं के स्थान पर नगरीय मापदण्ड आधारित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

7.4 विविध :

विभाग का मुख्य दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था है, जो मुख्यतः भू–गर्भीय स्रोतों पर आधारित है। भू–गर्भीय जल स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग से जहां एक ओर भू–गर्भीय जल की उपलब्धता कम हुई है, वहीं उपलब्ध भू–गर्भीय जल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। विभाग द्वारा सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भूजल संवर्धन कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत पर आधारित समूह ग्राम जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। पेयजल गुणवत्ता की समस्या के हल हेतु आयरन, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट की स्थापना प्राथमिकता से कर, विभाग आधुनिक तकनिकी के उपयोग से अपने आपको समसामयिक बनाये रखने के लिये निरंतर प्रयासरत् है। इस दिशा में उपखंड स्तर तक कम्प्यूटरीकरण किया गया है तथा ऑन लाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर का उपयोग, प्रस्तावित ग्राम स्तर तक जी.आई.एस. मेपिंग एवं भू–जल संवर्धन योजनाओं हेतु सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग, नलकूप खनन हेतु अत्याधुनिक रिग मशीनें एवं इनका रियलटाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग, जल शोधन संयंत्रों में SCADA तकनीक का उपयोग, ई–प्रोक्योरमेंट, ई–वर्क्स प्रक्रिया का उपयोग एवं टॉल फ्री सेवा से त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था का उल्लेखनीय कदम हैं।

कार्यरत घरेलु नल कनेक्शन ग्राम- बछुरा कोन्हा, विकासखंड- बोड़ला, जिला कबीरधाम

राज्य स्तरीय एवं 25 जिलों की जिला स्तरीय जल प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणन पत्र प्राप्त हो चुका है। राज्य की शेष जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्तमान में विभाग के पास 1:50,000 स्केल के हाइड्रो–जियो–मार्फोलॉजिकल नक्शे उपलब्ध है जिनका उपयोग विभाग द्वारा नलकूप खनन हेतु किया जा रहा है। जिला राजनांदगांव, के विकासखण्ड राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ के 151 ग्रामों तथा जिला बेमेतरा के विकासखण्ड बेमेतरा, बेरला, नवागढ़, साजा के 80 ग्रामों तथा जिला मुंगेली, के विकासखण्ड मुंगेली, पथरिया के 52 ग्रामों के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, क्षेत्रिय सुदूर संवेदन केन्द्र– मध्य, नागपुर (NRSA) द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से 1:10,000 स्केल पर हाइड्रो–जियो–मॉर्फोलाजिकल नक्शे आवश्यकतानुसार तैयार कराये गये है। जिनका उपयोग नलकूप खनन हेतु यथोचित स्थल के चयन हेतु किया जा रहा है।

7.4.1 शिकायत एवं सुझाव प्रणाली

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा **टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008** स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर, 2022 तक हैण्डपंप संधारण/नलजल प्रदाय योजना हेतु कुल प्राप्त 459 शिकायतों में से 327 शिकायतों का निराकरण किया गया।

7.4.2 हैण्डपंप ट्रेकर

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु पेयजल स्रोतों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाईल आधारित प्रणाली विकसित की गयी है। जिसके माध्यम से जल स्रोत/हैण्डपंप की ऑनलाईन जी.आई.एस. लोकेशन की जानकारी जैसे कि राज्य में कितने प्रतिशत हैण्डपंप विभिन्न कारणों से खराब है तथा इन हैण्डपंप के सुधार में औसतन कितने दिन लग रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही इस प्रणाली का उपयोग प्री–मानसून एवं पोस्ट–मानसून भूजल स्तर की जानकारी एकत्रित करने हेतु भी किया जा रहा है।

7.4.3 मोबाइल बेस्ड रिग मॉनिटरिंग सिस्टम (एम.आर.एम.एस.)

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु विभागीय रिंग मशीनों माध्यम से खनित किये जा रहे नलकूप एवं उन पर हैण्डपंप स्थापना तक के कार्यों की जानकारी मोबाइल बेस्ड रिग मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से एकत्र की जा रही है।

7.4.4 सूचना एवं प्रचार - प्रसार गतिविधियाँ

1. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता हेतु प्रचार-प्रसार अभियान

ग्राम पंचायत स्तर पर जल गुणवत्ता अनुश्रवण और निगरानी के लिए आईईसी अभियान आयोजित किया जा रहा है जहां स्थानीय समुदाय के सदस्यों को पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता निरीक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में, जल के महत्त्व, जल जनित बीमारियों एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और पीने के पानी के सुरक्षित प्रबंधन और भंडारण आदि के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

2. प्रचार-प्रसार गतिविधियां

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के द्वारा सोशल मीडिया अभियान जन आन्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत एवं जिले स्तर पर किये जा रहे उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्यों से सम्बंधित फोटो, वीडियो एवं सफलता की कहानियों को जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज, ट्विटर एवं इन्स्टाग्राम पेज पर जिलों के द्वारा **"#मोर गॉव मोर पानी"** हैंडल के तहत् आम लोगों के साथ साझा किया जा रहा है।

3. जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षमता वृद्धि एवं कौशल विकास अभियान

जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाले नल जल योजनाओं के संचालन/संधारण कार्य हेतु कौशल प्रशिक्षण के रूप में प्रदेश के ग्रामीण युवकों/युवतियों को प्रशिक्षित किया गया एवं यह कार्य निरंतर जारी है।

4. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जागरूकता अभियान :

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इन सहयोगी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में PRI गतिविधियाँ, VWSC के बैठकों का आयोजन तथा समुदायों की भागीदारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम, संचालित किया जा रहा है।

5. जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी:

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पंचायतों में जलगुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्टकिट उपलब्ध कराकर प्रत्येक पंचायत की 5–5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है एवं उनके माध्यम से ग्राम के पेयजल के स्रोतों के जल नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है एवं उन्ही के द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन प्रगति दर्ज की जा रही है।

6. जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केन्द्र:-

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल परीक्षण अनुश्रवण हेतु परीक्षण कार्य में लगे मानव संसाधन एवं प्रयोगशाला के संसाधन को गुणवत्ता युक्त रखने हेतु अनुसंधान केन्द्र कार्यरत् हैं। राज्य स्तरीय जलप्रयोग शाला, रावणभाठा, रायपुर में पेयजल में मौजूद हैवी मेटल एवं विशेष घटकों की जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, सीसा आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है।

7. जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य -

जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में गुणवत्ता युक्त रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है।

जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
बुनियादी जल गुणवत्ता मानकों की सूची

क्र.सं.	विशेषता	इकाई	अपेक्षा (स्वीकार्य सीमा)	वैकल्पिक स्रोत की अनुपस्थिति में अनुमेय सीमा
1.	पी.एच. मान	–	6.5–8.5	कोई ढील नहीं
2.	पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ	मिलीग्राम / लीटर	500	2000
3.	गंदगी	एनटीयू	1	5
4.	क्लोराईड	मिलीग्राम / लीटर	250	1000
5.	पूर्ण क्षारीयता	मिलीग्राम / लीटर	200	600
6.	पूर्ण खारापन	मिलीग्राम / लीटर	200	600
7.	सल्फेट	मिलीग्राम / लीटर	200	400
8.	आयरन	मिलीग्राम / लीटर	1.0	कोई ढील नहीं
9.	पूर्ण आर्सेनिक	मिलीग्राम / लीटर	0.01	कोई ढील नहीं
10.	फ्लोराईड	मिलीग्राम / लीटर	1.0	1.5
11.	नाइट्रेट	मिलीग्राम / लीटर	45	कोई ढील नहीं
12.	पूर्ण कोलीफॉर्म बैक्टीरिया	100 मिलीलीटर के किसी भी नमूने में पता लगने योग्य नहीं होना चाहिए।		
13.	ई, कोली या थर्मोटॉलरेन्ट कोलीफॉर्म बैक्टीरिया	100 मिलीलीटर के किसी भी नमूने में पता लगने योग्य नहीं होना चाहिए।		

गणतंत्र दिवस समारोह-2023 जिला बालोद की जल जीवन मिशन पर आधारित झांकी का मनोहर दृश्य

एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला

एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्यालय माननीय मंत्री जी 0771-2221106, 2510906
कार्यालय सचिव 0771-2510496
कार्यालय मिशन संचालक 0771-2962920, 2442920
कार्यालय प्रमुख अभियंता 0771-2331368

ग्रामीण पेयजल शिकायत हेतु टोल फ्री नं. -18002330008

Chhattisgarh Samvad